



रामपुर पुलिस



अभियोग की तलाशी के दौरान नकली नोट बरामद होना व शस्त्र फैक्ट्री का अवैध संचालन करना के मामले में 02 अभियोग को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000-15,000 रू० अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2012 को थाना कोतवाली पर मु०अ०सं०-556/12, मु०अ०सं०-555/12 धारा-489ग भादवि एवं मु०अ०सं०-554/12 धारा-5/25 आर्म्स एक्ट बावत अभियोग की तलाशी के दौरान नकली नोट बरामद होना व शस्त्र फैक्ट्री का अवैध संचालन करना पंजीकृत किया गया था।

पुलिस एवं अभियोजन के प्रयास के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 09.04.2024 को मा० न्या० ADJ-01, रामपुर द्वारा अभियोग 1.आमिर पुत्र अतीक नि० मजारशाह थाना गंज, रामपुर 2.मकसूद पुत्र कल्लन नि०जिठनिया थाना अजीमनगर, रामपुर को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000-15,000 रू० अर्थदण्ड से किया गया।